पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1680
दिनांक-16.07.2025

जोन-उत्तरी/ थाना-अलीगंज

- **"डेन्यूव कैफे एण्ड रेस्टोरेन्ट" मे अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर कार्यवाही।**
- **अवैध हुक्का बार चलाने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **06 अदद हुक्का मय पाइम मय फ्लेवर बरामद।**

01.संक्षिप्त विवरण

दिनांक 15.07.2025 को थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा गस्त भ्रमण/चेकिंग मे मामूर होकर नगर निगम सेक्टर बी तिराहे पर मौजूद था कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि "डेन्यूव कैफे एण्ड रेस्टोरेन्ट" सेक्टर ई मे अवैध हुक्का बार चल रहा है।

उक्त सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर अवैध संचालित 06 अदद हुक्का मय पाइप चालू हालत में पाया गया। हुक्का बार से संचालक (1) सुरेन्द्र सिंह पुत्र भरत सिंह नि0 ग्राम पुरेसुरजा सिंह थाना परसपर जनपद गोण्डा हाल पता डेन्यूव कैफे एण्ड रेस्टोरेन्ट सेक्टर ई थाना अलीगंज जनपद लखनऊ उम्र 37 वर्ष (2) अमर यादव पुत्र राकेश यादव नि0 ग्राम पुरेसुरजा सिंह थाना परसपर जनपद गोण्डा हाल पता डेन्यूव कैफे एण्ड रेस्टोरेन्ट सेक्टर ई थाना अलीगंज जनपद लखनऊ उम्र 19 वर्ष को उनके द्वारा किये गये जुर्म धारा से अवगत कराते हुए दिनांक 15.07.2025 को समय 23.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

02-अपराध कारित करने का तरीका

हुक्का बार का लाइसेंस होने का झांसा देकर लोगों को हुक्का में नशीला फ्लेवर मिलाकर पिलाना।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

(1) सुरेन्द्र सिंह पुत्र भरत सिंह नि0 ग्राम पुरेसुरजा सिंह थाना परसपर जनपद गोण्डा हाल पता डेन्यूव कैफे एण्ड रेस्टोरेन्ट सेक्टर ई थाना अलीगंज जनपद लखनऊ उम्र 37 वर्ष (सर्विस मेन)

(2) अमर यादव पुत्र राकेश यादव नि0 ग्राम पुरेसुरजा सिंह थाना परसपर जनपद गोण्डा हाल पता डेन्यूव कैफे एण्ड रेस्टोरेन्ट सेक्टर ई थाना अलीगंज जनपद लखनऊ उम्र 19 वर्ष (सर्विस मेन)

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1684
दिनांक 16/07/2025

जोन- दक्षिणी/थाना बिजनौर

थाना बिजनौर पुलिस द्वारा ऑटो व मोबाइल लूट करने वाले अभियुक्तगण लूट के माल सहित गिरफ्तार।

01-कार्यवाही विवरण-

थाना बिजनौर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 167/2025 धारा 309(2)/317(2) बी.एन.एस.. थाना बिजनौर लखनऊ में लूट करने वाले अभियुक्तगण लूट के माल सहित गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 30.05.2025 को वादी श्री सत्यगुरू पुत्र गुरूदयाल निवासी ग्राम शिवपुरा थाना नगराम जनपद लखनऊ की लिखित तहरीर बावत दिनांक 30.05.2025 को अज्ञात लुटेरो द्वारा वादी मुकदमा की ऑटो व मोबाइल लूट कर लेनें सम्बन्धी मु0अ0सं0 167/2025 धारा 309(2)बी.एन.एस. थाना बिजनौर लखनऊ पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त प्रकरण में लूट के माल व लुटेरो की तलाश में लगातार लगभग 50 किमी0 सीसीटीवी कैमरो देखते हुये सर्विलांस की मदद से दिनांक 15.07.2025 को बिजनौर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 01-इम्तियाज सिद्दकी पुत्र कमालुद्दीन मियां निवासी ग्राम महुअवां थाना कटेपा जनपद गोपालगंज बिहार उम्र 19 वर्ष हालपता किराये का मकान सुनील बिल्डिंग फूलबाग थाना कैसरबाग जनपद लखनऊ 02-आकाश सोनकर पुत्र अशोक सोनकर निवासी बालदा चमन टुलिया कैसरबाग मण्डी थाना कैसरबाग जनपद लखनऊ हालपता किराये का मकान बटहा थाना विकासनगर जनपद लखनऊ उम्र 26 वर्ष 03- सिद्धार्थ सागर पुत्र संजय सागर निवासी सुपर कालोनी अंजुमन हाल निकट गांधी पार्क ऐशबाग थाना बाजारखाला जनपद लखनऊ उम्र 25 वर्ष हालपता डाक्टर तारा चन्द्र बिल्डिंग वलिगंटन थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ को पुराना गुडौरा थाना बिजनौर जनपद लखनऊ से समय करीव 21:05 बजे लूट के माल के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुयी है।

फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए विधिक कार्यवाही कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

मॉड्यूस ऑपरेंडीः-

अभियुक्तगण द्वारा अयोध्या पुरी कॉलोनी थाना बिजनौर जनपद लखनऊ से वादी मुकदमा की ऑटो व मोबाइल लूट करना।

अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0सं0 167/2025 धारा 309(2)/317(2) बी.एन.एस. थाना बिजनौर लखनऊ

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

01-**इम्तियाज सिद्दकी** पुत्र कमालुद्दीन मियां निवासी ग्राम महुअवां थाना कटेपा जनपद गोपालगंज बिहार उम्र 19 वर्ष हालपता किराये का मकान सुनील बिल्डिंग फूलबाग थाना कैसरबाग जनपद लखनऊ

02-**आकाश सोनकर** पुत्र अशोक सोनकर निवासी बालदा चमन टुलिया कैसरबाग मण्डी थाना कैसरबाग जनपद लखनऊ हालपता किराये का मकान बटहा थाना विकासनगर जनपद लखनऊ उम्र 26 वर्ष

03- **सिद्धार्थ सागर** पुत्र संजय सागर निवासी सुपर कालोनी अंजुमन हाल निकट गांधी पार्क ऐशबाग थाना बाजारखाला जनपद लखनऊ उम्र 25 वर्ष हालपता डाक्टर तारा चन्द्र बिल्डिंग वलिगंटन थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ

बरामदगी-

01- 01 अदद महिन्द्रा आटो संख्या UP32XN8573 रंग नीला एवं सफेद, चेचिस नम्बर MA1AG2ZA7R5K83648 इन्जन नम्बर METMEAC0FRJJ3191

02- एक अदद की पैड मोबाईल लावा कम्पनी का रंग सफेद

आपराधिक इतिहासः-

01- मु0अ0सं0- 486/2019 धारा 379/411 भादवि थाना कृष्णानगर लखनऊ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

01-प्रभारी निरीक्षक अरविन्द कुमार राणा थाना बिजनौर लखनऊ

02-उ0नि0 धर्मेन्द्र सोनकर थाना बिजनरौ लखनऊ

03-उ0नि0 तेजवीर सिंह, थाना बिजनौर लखनऊ

04- उ0नि0 प्रदीप कुमार थाना बिजनौर लखनऊ

05-उ0नि0 विजय कुमार थाना बिजनौर लखनऊ

06-उ0नि0 रविन्द्र कुमार थाना बिजनौर लखनऊ

07हे0का0 अरुण कुमार सिंह थाना बिजनौर लखनऊ

08-का0 भूपेन्द्र सिंह थाना बिजनौर लखनऊ

सर्विलांस टीम दक्षिणी थाना बिजनौर जनपद लखनऊ-

01-उप निरीक्षक अंकित कुमार

02-उप निरीक्षक मनिंदर यादव

03-हे0 का0 मनजीत सिंह

04-हे0 का0 बद्री विशाल

05-का0 सुनील कुमार

06-का0 रविंद्र

07-का0 अंकुर कुमार

08-का0 अंशु कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1689
दिनांक-16.07.2025

जोन- पूर्वी / थाना-गाजीपुर

उ0प्र0 फार्मेसी काउन्सिल में हुई चोरी की घटना का किया गया सफल अनावरण

- **01 शातिर चोर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से चोरी किये गये 01 अदद DVR व 3500/- रू0 बरामद ।**
- **गिरफ्तार अभियुक्त फार्मेसी काउन्सिल में करता था संविदा पर गार्ड की नौकरी ।**

सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 15.07.25 को वादी मुकदमा श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी (रजिस्ट्रर उ0प्र0 फार्मेसी काऊसिल) द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से अज्ञात व्यक्ति द्वारा लेखराज मार्केट के द्वितीय तल पर स्थित फार्मेसी काउन्सिल कार्यालय के मुख्य चैनल का ताला तोडकर DVR, Hard disk व कैमरा व लगभग 4000 रू चोरी लेने के सम्बन्ध में सूचित किया।

वादी मुकदमा के उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 250/2025 धारा 305(ए)/331(2) बी.एन.एस. पंजीकृत कर अज्ञात अभि0 व चोरी गये माल की तलाश पतारसी सुरागरीस प्रारम्भ की गयी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के अवलोकन से दिनांक 11.07.25 को रात्रि में एक व्यक्ति हाथ में थैला लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। दौराने विवेचना उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त को धारा 305(ए)/331(2) बी.एन.एस. से धारा 305(ए)/331(4) बी.एन.एस. में तरमीम किया गया।

सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे व्यक्ति की पहचान फार्मेसी काउन्सिल के कर्मचारियों से कराई गयी तो उक्त व्यक्ति की पहचान फार्मेसी काउन्सिल में संविदा पर गार्ड की नौकरी करने वाले संजय मिश्रा के रूप में हुई। उक्त व्यक्ति की तलाश के क्रम में थाना गाजीपुर पुलिस टीम दिनांक 15.07.25 को संजय मिश्रा के निवास स्थान पर पहुँची तो ज्ञात हुआ कि संजय मिश्रा नहर की तरफ बताकर गये हैं।

जिस पर पुलिस टीम अभि0 संजय मिश्रा के घर से प्रस्थान कर इन्दिरा नहर सहायक नहर के लिये रवाना होकर नहर के पास पहुँची जहाँ से अभि0 संजय मिश्रा पुत्र विमल मिश्रा निवासी-587/ख 787 द्वारिकापुरी तेलीबाग थाना पीजीआई लखनऊ उम्र-46 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 3500/- रूपये बरामद हुए। चोरी गये DVR अभि0 की निशांदेही पर नहर के पास से बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(4) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1686
दिनांक-16.07.2025

जोन- पूर्वी/ थाना- गोमतीनगर

- **वाहन चोरी करने वाले एक शातिर चोर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से थाना स्थानीय क्षेत्रान्तर्गत चोरी हुयी 03 अदद स्कूटी बरामद।**
- **थाना गोमतीनगर पुलिस की सफलता।**

01-कार्यवाही का विवरण:-

दिनांक 16.7.2025 को थाना गोमतीनगर पुलिस टीम उ0नि0 श्री राजन केसरी व का0 आकाश यादव व का0 अंकुर चौधरी द्वारा उच्चाधिकारीगणों के निर्देशन में मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अभियुक्त मनीष सिंह पुत्र राजीव सिंह निवासी मालापुर जनपद सुल्तानपुर हाल पता फ्लैट नं0 304 साई कोहिनूर अपार्टमेन्ट सीमरा मटियारी उम्र 27 वर्ष को ग्वारी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त उपरोक्त द्वारा थाना क्षेत्र में अलग अलग जगह चोरी की घटना कारित की गयी थी थाना पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास से अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

02-संक्षिप्त विवरण-

01-दिनांक 08.07.2025 को वादी श्री मनीष मिश्रा निवासी 3/501 विवेक खंड गोमतीनगर लखनऊ के प्रा0 पत्र बावत–प्रतिवादी द्वारा वादी की पुत्री की स्कूटी (रंग सफेद) सं0 UP32JY9389 को चोरी कर लेने विषयक मु0अ0सं0- 285/2025 धारा- 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री हेमंत कुमार को सुपुर्द हुई।

02-दिनांक 11.07.2025 को वादिनी अन्नू उपाध्या पुत्री राजमणि उपाध्याय निवासी 4/32 विराम खंड गोमतीनगर लखनऊ के प्रा0 पत्र बावत- प्रतिवादी द्वारा वादिनी की स्कूटी UP51 BJ4397 चोरी कर लेने विषयक मु0अ0स0 0290/2024 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री सचिन केसरवानी को सुपुर्द हुई।

03-दिनांक 13.7.2025 को वादी श्री संदीप कन्नौजिया पुत्र परशुराम कन्नौजिया निवासी ग्वारी गांव थाना गोमतीनगर लखनऊ के प्रा0 पत्र बावत-प्रतिवादी द्वारा वादी की मोटर साइकिल (एक्टिवा 6 जी) सं0 UP32MV0203 को चोरी कर लेने विषयक मु0अ0स0 296/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री राजन केसरी को सुपुर्द।

03- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1- मनीष सिंह पुत्र राजीव सिंह निवासी मालापुर जनपद सुल्तानपुर हाल पता फ्लैट नं0 304 साई कोहिनूर अपार्टमेन्ट सीमरा मटियारी उम्र 27 वर्ष

अभियुक्त के कब्जे से बरामदगी-

1. एक अदद_स्कूटी (रंग सफेद) सं0 UP32JY9389 उपरोक्त स्कूटी अभियुक्त द्वारा पत्रकार पुरम फैशन सीटी के सामने से चोरी की गयी थी।

2. स्कूटी वाहन संख्या UP51 BJ4397 उपरोक्त स्कूटी अभियुक्त द्वारा विनय खंड बैक के सामने से चुराई की गयी थी।

3. (एक्टिवा 6 जी) सं0 UP32MV0203 उपरोक्त स्कूटी अभियुक्त द्वारा विराम खंड मे स्थित पार्क के पास से चोरी की गयी थी।

04- आपराधिक इतिहास अभियुक्त मनीष सिंह उपरोक्त-

1- मु0अ0स0 285/25 धारा 303(2) / 317(2) बीएनएस थाना गोमतीनगर

2. मु0अ0स0 0290/2024 धारा 303(2) /317(2) बीएनएस थाना गोमतीनगर

3. मु0अ0स0 296/25 धारा 303(2) 317(2) बीएनएस थाना गोमतीनगर

नोट- अभियुक्त उपरोक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।-

05- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ब्रजेश चन्द्र तिवारी थाना गोमतीनगर लखनऊ
2. उ0नि0 श्री उ0नि0 श्री राजन केसरी थाना गोमतीनगर लखनऊ
3. उ0नि0 श्री उ0नि0 श्री अमरनाथ चौरसिया सर्विलांस टीम प्रभारी पूर्वी जोन

4- उ0नि0 श्री राजन केसरी थाना गोमतीनगर लखनऊ

5- हे0का0 संदीप पाण्डेय सर्विलांस टीम पूर्वी जोन

6- का0 अजय यादव सर्विलांस टीम पूर्वी जोन

7- का0 अंकुर चौधरी थाना गोमतीनगर लखनऊ

8- का0 आकाश यादव थाना गोमतीनगर लखनऊ

पुलिसकमिश्नरेट,लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1683

दिनांक-16-07-2025

जोन- दक्षिणी/थाना-कृष्णानगर

- **हत्या में वाँछित, 25 हजार रुपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **थाना कृष्णानगर पुलिस टीम की सफलता।**

01-कार्यवाही विवरण-

श्री अमरेद्र कुमार सेंगर, पुलिस आयुक्त लखनऊ के द्वारा कमिश्नरेट लखनऊ में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही के क्रम में श्री निपुण अग्रवाल, पुलिस उपायुक्त दक्षिणी लखनऊ, श्री अमित कुमावत अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के अनुपालन में विकास कुमार पाण्डेय, सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर लखनऊ के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कृष्णानगर श्री प्रद्युम्न कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित थाना कृष्णानगर पुलिस टीम द्वारा हत्या में वाँछित 25 हजार रुपये का इनामियां अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है ।

02-घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक- 04.07.2024 को वादी मुकदमा सुरेन्द्र कुमार चौरसिया पुत्र बांकेलाल चौरसिया नि0 4/1/2 माधोकुन्ज कटरा रोड प्रयागराज द्वारा उनकी पुत्री शुभांगी चौरासिया उम्र करीब 28 वर्ष की हत्या कर देने के सम्बन्ध में **मु0अ0सं0-303/2024 धारा 302 भादवि0 थाना कृष्णानगर लखनऊ** पंजीकृत कराया गया था ।

मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 02 टीमें गठित की गयी थी जिनके द्वारा मैनुअल एवं ग्राउण्ड सूचना की सहायता से 01 वर्ष से अधिक समय से फरार चल रहे 25 हजार के इनामियां अभियुक्त प्रखर शुक्ला उपरोक्त को **आज दिनांक 16.07.2025 को समय 00.45 बजे सरदार पटेल संस्थान की बाउण्डरीवाल के किनारे मेन रोड झूसी प्रयागराज** से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

03-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त प्रखर शुक्ला ने पूछताछ में बताया कि मैं औरशुभांगी चौरसिया-28 वर्ष एक दूसरे के दोस्त थे, वर्ष-2015 में हम दोनों नेहरू ग्राम भारती यूनिवर्सिटी इलाहाबाद पढाई कर रहे थे, उसी दौरान हम दोनों की एक दूसरे से जान पहचान हुई थी, मार्च-2022 से हम दोनों के एक दूसरे से लीविंग रिलेशन में भोलाखेडा कृष्णानगर में किराये के मकान में निवास कर रहे थे, कि दिनांक 27/28.06.2024 की रात्रि में शुभांगी का किसी अन्य लडके से बातचीत करने व रिलेशन की बात पूछने पर मेरे साथ गाली गलौज करने पर मैं नाराज होकर शुंभागी को छत से नीचे फेंक दिया, फिर इलाज हेतु लोकबन्धु अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर देना बताया गया । तत्पश्चात मैं मौके से भाग गया था।

04-अनावरित अभियोग-

- मु0अ0सं0-303/2024 धारा 302 भादवि0 थाना कृष्णानगर कमि0 लखनऊ।

4-बरामदगी

01.ई रिक्शा रंग सफेद वाहन संख्या UP 32 TN 4081

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 श्री अखिलेश कुमार
2. उ0नि0 श्री अनिरुद्ध कुमार मिश्रा
3. का0 दिग्विजय यादव
4. का0 अर्जुन सिंह
5. का0 दुर्गेश कुमार वर्मा

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1681
दिनांक–16.07.2025

जोन- उत्तरी/ थाना- मडियांव

- **थाना मड़ियांव लखनऊ पुलिस टीम द्वारा कुल 129 ग्राम मय 300 अदद पुड़िया स्मैक बरामद करते हुए अवैध स्मैक बेचने वाले 02 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 16.07.2025 को थाना मडियांव लखनऊ की पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम तलाश वांछित/ वारंटी चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में भिठौली तिराहे पर मामूर थी। कि मुखबिर खास ने आकर बताया कि साहब मड़ियाव की तरफ से सीतापुर रोड पर दो व्यक्ति काले रंग की स्प्लेन्डर मोटरसाइकिल पर बैठकर भिठौली की तरफ आ रहे हैं। उनके पास नाजायज स्मैक है अगर जल्दी किया जाय तो उनको पकड़ा जा सकता है। मुखविरखास द्वारा बताये गये व्यक्तियों को पकड़ लिया गया।

पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम मो0 कबीर पुत्र मो0 अकील उम्र लगभग 21 वर्ष नि0 ग्राम टिकरा उस्मा थाना जैतपुर जिला बाराबंकी तथा दूसरे व्यक्ति ने अनपा नाम मो0 इरफान पुत्र स्व0 नूर मोहम्मद उम्र लगभग 20 वर्ष नि0 ग्राम टिकरा उस्मा थाना जैतपुर जनपद बाराबंकी बताया। पकड़े गये व्यक्ति के कब्जे से कुल **129 ग्राम मय 300 अदद पुड़िया स्मैक तथा घटना में प्रयुक्त 01 अदद हीरो स्प्लेन्डर मोटर साइकिल वाहन UP 41 BA 7734 बरामद हुआ।**

पकड़े गये व्यक्तियों को उसके द्वारा कारित जुर्म व जुर्म धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट से अवगत कराते हुए दिनांक 16/07/2025 को समय 00.25 बजे सुबह हिरासत पुलिस में लिया गया। बरमदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 418/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। **घटना में प्रयुक्त 01 अदद हीरो स्प्लेन्डर मोटर साइकिल वाहन UP 41 BA 7734 को मुकदमा उक्त में सीज किया गया।** आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध कारित करने का तरीका

अभियुक्त द्वारा सस्ते दामों में नजायज स्मैक लाकर लखनऊ में अलग - अलग स्थानों पर अवैध रूप से चोरी - छुपे लोगों को ऊँचे दामों में बेच देना, जिससे कम समय मे ज्यादा मुनाफा होना और अपना खर्च चलाना।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1. मो0 कबीर पुत्र मो0 अकील उम्र लगभग 21 वर्ष नि0 ग्राम टिकरा उस्मा थाना जैतपुर जिला बाराबंकी (व्यवसाय – मजदूरी)
2. मो0 इरफान पुत्र स्व0 नूर मोहम्मद उम्र लगभग 20 वर्ष नि0 ग्राम टिकरा उस्मा थाना जैतपुर जनपद बाराबंकी वर्ष (व्यवसाय –मजदूरी)

4-बरामदगीः-

1. कुल 129 ग्राम मय 300 अदद पुड़िया स्मैक
2. घटना में प्रयुक्त 01 अदद हीरो स्प्लेन्डर मोटर साइकिल वाहन UP 41 BA 7734

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

01.उ0नि0 श्री उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह
02.उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र चौधरी
03.हे0का0 कमलेश वर्मा
04.हे0का0 गौरव कुमार सिंह
05.का0 मंजीत सिंह

अपराध शाखा टीमः-

1. उ0नि0 श्री आशुतोष पाण्डेय
2. उ0नि0 श्री प्रकाश सिंह
3. उ0नि0 श्री मुहम्मद असलम
4. हे0का0 इंद्रप्रताप सिंह
5. हे0का0 अतुल कुमार पाण्डेय
6. हे0का0 मनोज कुमार शुक्ला
7. हे0का0 अरुण कुमार
8. हे0का0 अमित कुशवाहा
9. हे0का0 दिलीप कुमार
10. हे0का0 जीत सिंह
11. हे0का0 धीरज
12. हे0का0 पवन
13. का0 नाहर सिंह
14. का0 मुकेश
15. का0 देशराज मुखिया